[भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खण्ड-3, उपखण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

सं. 35/2016-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (गै.टे.)

नई दिल्ली, दिनांक 26 जुलाई, 2016

सा.का.नि. (अ), - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 37 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, एतदद्वारा, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 2002 में और आगे भी संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, यथा -

1. (1) इन नियमों को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2016 कहा जाएगा।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होंगे।

2. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 2002 (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त नियमावली से संदर्भित किया गया है) में -

(क) नियम 8 में, स्पष्टीकरण 1 में,-

(i) मद और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा;

(ii) मद (ख) में, संकेत और शब्द ''उपर्युक्त (क) से भिन्न'', को निरसित किया जाएगा।

(ख) नियम 12 में, उप-नियम (1) में,

i. चौथे परंतुक में, उपवाक्य (ii) में, संख्या, संकेत और अक्षर '',199 (झ)'' के पश्चात संख्या, संकते और अक्षर '',199 (झझ)'' को अंत:स्थापित किया जाएगा;

ii. चौथे परंतुक में ''और किसी अन्य .... का विनिर्माण नहीं करता है'' शब्दों से प्रारंभ होने वाले और ''उस तिमाही की समाप्ति पर जिससे कि यह रिटर्न संबंधित हो'' शब्दों से समाप्त होने वाले वाक्यों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा -

''और उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट वस्तुओं के अलावा अन्य किसी उत्पाद शुल्क वाली वस्तुओं का विनिर्माण नहीं करता है। बोर्ड द्वारा जारी की गई अधिसूचना में विनिर्दिष्ट फार्म में उस तिमाही के समाप्ति के 10 दनि के भीतर, जिससे कि यह रिटर्न संबंधित होता है, वस्तुओं के उत्पादन और उनको उठाए जाने तथा उनसे संबंधित अन्य ब्यौरे को तिमाही रिटर्न में भरकर जमा करेगा।

स्पष्टीकरण :- यदि अधिसूचना सं. 12/2012-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 17 मार्च, 2012 के क्रम सं. 199 (I) और 199 (II) के अंतर्गत छूट की लाभ उठाने वाले निर्धारिती के मामले में 31

मार्च, 2016 को समाप्त होने वाली तिमाही के त्रैमासित रिटर्न और 30 जून, 2016 को समाप्त होने वाले तिमाही के त्रैमासिक रिटर्न के भरे जाने की तारीख 10 अगस्त, 2016 होगी।''

(ग) नियम 12 कक में, -

(i) हाशिये के शीर्ष में, शब्द ''कीमती धातुओं के आभूषणों की वस्तुएं या अन्य वस्तुएं'' के स्थान पर शब्द ''टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के शीर्ष 7114 के अंतर्गत आने वाली कीमती धातुओं की वस्तुओं'' प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ii) उप-नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा-

''(1) इन नियमों में निहित किन्हीं भी बातों के बावजूद प्रत्येक व्यक्ति (जो कि निर्यात करने वाली इकाई या विशेष आर्थिक जोन में स्थित कोई इकाई न हो), जो कि टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के शीर्ष 7114 के अंतर्गत आने वाले कीमती धातुओं की वस्तुओं को प्राप्त करता है, कारीगरी के आधार पर अपनी ओर से उत्पादन या विनिर्माण कराता है (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त व्यक्ति से संदर्भित किया गया है), को पंजीकरण कराना होगा, बहीखाता रखना होगा तथा ऐसी वस्तुओं पर लगने वाले शुल्क का भुगतान करना होगा और इस नियमावली के संबंधित प्रावधानों का अनुपालन करना होगा, यदि वह निर्धारती है तो।''

(iii) उप-नियम (9) में,-

(क) स्पष्टीकरण 1 में ''आभूषणों की वस्तुओं'' शब्दों और संख्या से प्रारम्भ होने वाले और ''केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985'' शब्दों और संख्या के स्थान पर ''टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के शीर्ष 7114 के अंतर्गत आने वाली कीमती धातुओं की वस्तुओं'' शब्दों और संख्याओं को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) स्पष्टीकरण 4 में ''आभूषणों की वस्तुओं'' से प्रारंभ होने वाले तथा ''टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची'' से समाप्त होने वाले शब्दों और संख्याओं के स्थान पर ''टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के शीर्ष 7114 के अंतर्गत आने वाले कीमती धातुओं की वस्तुओं'' शब्दों और संख्याओं को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[फा.सं. 354/25/2016-टीआरयू (पार्ट-I)]

(अनुराग सहगल)
अवर सचिव, भारत सरकार

नोट : प्रधान नियमावली को अधिसूचना सं. 04/2002-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (गै.टे.), दिनांक 01 मार्च, 2002, सा.का.नि. 143 (अ), दिनांक 01 मार्च, 2002, के द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खण्ड-3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना सं. 8/2016- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (गै.टे.), दिनांक 01 मार्च, 2016, जिसे सा.का.नि. 239 (अ), दिनांक 01 मार्च, 2016 के द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खण्ड-3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।